संख्या-04/2018/094/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2018

विषय:-औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्डों/शेडों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 का प्रख्यापन शासनादेश संख्या- 22/2017/869/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017, दिनांक 15-12-2017 द्वारा किया गया है। उक्त नीति के बिन्दु संख्या- 5.1.1 के अनुक्रम में उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में वर्तमान में रिक्त भूखण्डों/शेडों के आवंटन के लिये निम्न व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(1) औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्डों/शेडों का आवंटन जिला उद्योग बन्धु द्वारा किया जायेगा। भूखण्डों की संख्या से आवेदन पत्रों की संख्या कम होने पर इच्छुक उद्यमियों को उनके पक्ष में भूखण्डों/शेडों का आवंटन कर दिया जायेगा। एक ही भूखण्ड अथवा शेड पर एक से अधिक उद्यमियों के इच्छुक होने की दशा में उनके मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। रिक्त भूखण्डों/शेडों के सापेक्ष इच्छुक उद्यमियों से आवेदन पत्र (संलग्नक-1 के अनुसार) आमंत्रित किये जायेगें।

(2) औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में कुल भूखण्डों/शेडों की संख्या के 10 प्रतिशत अथवा 10 से कम की संख्या में भूखण्डों/शेडों के रिक्त होने की दशा में उनका निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। इस नीलामी में तत्समय सम्बन्धित औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में निर्धारित मूल्य उसका आरक्षित मूल्य होगा। तदनुसार नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चतम मूल्य की नीलामी लगाने वाले उद्यमी के पक्ष में लीजडीड की शर्तो के अधीन जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) नीलामी की प्रक्रिया/शर्तो का पूर्ण विवरण कम से कम दो बड़े हिन्दी तथा एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में विज्ञापित/प्रकाशित कराया जायेगा। नीलामी हेतु समिति निम्नवत् होगीः-

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	उपायुक्त उद्योग,जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	संयोजक
3-	कोषाधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उद्यमी द्वारा शेड/भूखण्ड के सापेक्ष प्रचलित दरों के अनुसार प्रत्येक आवेदित शेड/भूखण्ड की आंकलित कुल धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के पक्ष में देय होगा, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर उपायुक्त उद्योग के कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। नीलामी के माध्यम से चयनित उद्यमी से आवेदन पत्र के साथ प्राप्त 10 प्रतिशत की धनराशि घटाते हुए अवशेष 90 प्रतिशत की धनराशि लीज डीड की शर्तों के अनुसार 15 समान किश्तों में पूर्व प्रक्रियानुसार जमा की जायेगी। उद्यमी द्वारा इस अवशेष 90 प्रतिशत की धनराशि को एक मुश्त भुगतान भी किया जा सकता है। यदि नीलामी के माध्यम से चयनित उद्यमी आवंटित भूखण्ड/शेड को लिये जाने में समर्थ/इच्छुक नहीं होता है तो अग्रिम जमा की गयी 10 प्रतिशत की धनराशि जब्त कर राजकोष में जमा करायी जायेगी और अगले कम बोली देने वाले उद्यमी को अवसर प्रदान किया जायेगा। जिन उद्यमियों को शेड/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है, उनके द्वारा जमा की गयी अग्रिम 10 प्रतिशत धनराशि को 07 कार्य दिवस के अन्दर उन्हें वापस लौटा दी जायेगी।

(5) मिनी औद्योगिक आस्थानों के एक मुश्त निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-1107/18-2-2005-80(ल0उ0)/2004, दिनांक 30-5-2005 एवं तत्क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2116/18-2-2005-80(ल0उ0)/2004, दिनांक 05-10-2005 एवं आवंटन/निरस्तीकरण से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेशों की नियम/शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगीं।

2- उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा ऑन-लाइन व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी, जिससे यह कार्यवाही और अधिक पारदर्शी एवं त्वरित गति से सम्पन्न की जा सके।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2018/094(1)/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त परिक्षेत्रीय अपर/ संयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रात्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।